भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1055

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटन

1055. श्री कनकमल कटाराः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान को आबंटित निधि कितनी है;

(ख) यह कार्यक्रम किन–किन जिलों में लागू किया जा रहा है;

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता रहित गांवों की जिला–वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु जलस्रोतों को जलाशयों के रूप में संरक्षित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष भर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान को आबंटित की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधियां (केंद्रीय)
2016-17	1072.92
2017-18	714.24
2018-19	655.41

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी का कार्यान्वयन राजस्थान के सभी 33 जिलों में किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों का जिनकी पेयजल तक पहुंच नहीं है, जिलावार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(घ) और (ड़) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए जल भंडारों के रूप में जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीएण्डडब्ल्यूएम) कार्यक्रम आदि के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संरक्षण का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(च) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार लाने के लिए केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्यों की तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य, जल आपूर्ति स्कीमों को भी शुरू कर सकते हैं ताकि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नक

दिनांक 27-06-2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1055 के उत्तर के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल
1.	अजमेर	0
2.	भीलवाड़ा	0
3.	नागौर	442
4.	टोंक	0
5.	भरतपुर	0
6.	धौलपुर	0
7.	सवाईमाधौपुर	8
8.	करौली	0
9.	बीकानेर	291
10.	श्रीगंगानगर	408
11.	हनुमानगढ़	44
12.	चुरू	134
13.	अलवर	0
14.	सीकर	0
15.	दौसा	0
16.	झुनझुनू	0
17.	जयपुर	0
18.	जोधपुर	2100
19.	पाली	0
20.	बाड़मेर	4291
21.	जैसलमेर	1247
22.	जालौर	870
23.	सिरोही	0
24.	कोटा	0
25.	बूंदी	0
26.	बारां	0
27.	झालावाड़	0
28.	बांसवाड़ा	0
29.	चित्तौडगढ़	0
30.	डुंगरपुर	0
31.	प्रतापगढ़	0
32.	राजसमंद	0
33.	उदयपुर	0
	कुल	**9815**